

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही पय इनिशियलस जज
05 ⁰² / ₂₀₂₄	फावली पेश हुई बख्तवाफ पक्ष उभय पक्ष पक्ष को उभय पक्ष उभय पक्ष पर बख्त फावली पेश आदेश दिनांक 21/02/2024 को उभय पक्ष बकील उभय पक्ष कर जोर पक्ष को पेश किया जा रही फावली पक्ष फावली पक्ष आदेश मुकदमे नम्बर की <u>हिस</u>
21 ⁰² / ₂₀₂₄	फावली पेश हुई उभय पक्ष के उभय पक्ष उभय पक्ष उभय पक्ष फावली पक्ष दिनांक 03/06/24 को पेश की <u>हिस</u>
03 ⁰⁶ / ₂₀₂₄	आज श्रीमान् ए. एम. / एस. डा. ए. ए. साहब द्वारा अवकाश पर हैं। पेशी इलाका की जाकर पत्रावली तारीख 31/07/24 को पेश हो।
31/7/24	आज 31/7/24 साहब <u>अनुमति</u> एम। पेशी इलाका <u>गवली</u> तारीख 07/10/24 को
7/10/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्ष उभय पत्रावली वास्तु बख्त उभय पक्ष दिनांक 8/10/24 को पेश की
08 ¹⁰ / ₂₀₂₄	फावली पेश हुई उभय पक्ष उभय पक्ष उभय बख्तवाफ पक्ष को बख्त सुनी गई फावली बख्त आदेश दिनांक 22/10/2024 को पेश की
22/10/2024	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष बख्त सुनी गयी। उभय पक्ष वकील बख्त एवं पत्रावली में उपलब्ध हस्तावेजात के आधार पर अधिवक्ता का अधिवक्ता पक्ष स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी दिनांक 04-08-2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल नम्बर होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल झारती निर्णय आज दिनांक 22-10-2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे- इलाका सुनाया गया।

